सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

File No NCST/SER-917/JH/19/2023-SSW

दिनांक: 29 .07.2024

सेवा में,

श्री अजय कुमार सिंह
उपायुक्त, सिमडेगा
जिला –सिमडेगा
सिमडेगा -835223 (झारखंड)
Email:- dc-sim@nic.in , Phone - 06525-225101

विषय: जिला पंचायती राज पदाधिकारी. सिमडेगा द्वारा अनसचित जनजाति के कर्मचारी को पंचायत सेवक पद से जबरन निष्कासित करने के संबंध में :- श्री देवक भगत. मोहल्ला + डाकघर - ओलमुंडा, थाना - सिसई, जिला - गुमला, झारखंड का दिनांक 10.05.2023 का अभ्यावेदन।

महोदय,

मुझे उपरोक्त विषय पर, डॉ. आशा लकड़ा, माननीय सदस्या, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 13.06.2024 को 5:00 बजे, हॉल – युवराज, बीएनआर चाणक्य होटल, रांची में आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न करने का निर्देश हुआ है।

अतः आप से निवेदन है कि सिटिंग की संस्तुतियों पर की गई कार्रवाई/की जाने वाली कार्रवाई की रिपोर्ट को निर्धारित समय के भीतर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को प्रेषित करने का कष्ट करें, जिसे माननीय सदस्या के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके।

भवदीय,

(आर.एस.मिश्र / R.S. Misra)
अनुसंधान अधिकारी / Research Officer
फोन :- 011-24641640

प्रतिलिपि :-

श्री देवकु भगत,
मोहल्ला + डाकघर - ओलमुंडा,
थाना - सिसई, जिला - गुमला-835324 (झारखंड)
मोब न. 9608904778

Copy for information

1. PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra), NCST.
2. NIC, NCST for uploading on the website of the Commission

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

श्री देवकु भगत, पंचायत सेवक, प्रखण्ड – बानो, जिला – सिमडेगा (झारखंड) को जिला पंचायती राज पदाधिकारी द्वारा जबरन निष्कासित करने के संबंध में – डॉ. आशा लकड़ा, माननीय सदस्या, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 13.06.2024 को 05.00 बजे, होटल BNR चाणक्य, रांची में सम्पन्न बैठक के कार्यवृत।

फ़ाइल संख्या: NCST/SER-917/JH/19/2023-SSW
बैठक की तिथि: 13.06.2024 को 05.00 बजे
प्रतिभागियों की सूची – संलग्नक पर है

श्री देवकु भगत, पंचायत सेवक, प्रखण्ड – बानो, जिला – सिमडेगा (झारखंड)(ग्राम व पोस्ट – ओलमुंडा, थाना – सिसई, जिला - गुमला) ने अपने अभ्यावेदन दिनांक 10.05.2023 में यह बताया है कि वह सिमडेगा जिले के जलडेगा प्रखंड के तरगा पंचायत में पंचायत सेवक के पद पर कार्यरत थे, जहां उन्हे वर्ष 22.03।2007 में बिना किसी बैध कारण, षड्यंत्र पूर्वक जिला पंचायती राज पदाधिकारी द्वारा निलंबित कर दिया गया। दिनांक 18.03.2021 को संचालन पदाधिकारी द्वारा जिला पंचायती राज पदाधिकारी को विभागीय कार्यवाई की प्रक्रिया वापिस कर दी गई जिसमे वह निर्दोष साबित थे, इसके बावजूद जिला पंचायती राज पदाधिकारी द्वारा उन्हे जेल भेजने की धमकी दी गई। अतः न्याय करने का कष्ट करें।

उपरोक्त प्रकरण को आयोग ने सम संख्यक नोटिस दिनांक 08.06.2023 द्वारा उपायुक्त, जिला -सिमडेगा, झारखंड को तथ्य तथा आख्या प्रस्तुत करने का आग्रह किया । उप-विकास आयुक्त, सिमडेगा (पंचायत शाखा) ने अपने पत्र दिनांक 24.06.2023 के द्वारा यह सूचित किया कि श्री देवकु भगत, निलंबित पंचायत सचिव पर निर्णय के लिए पंचायत सचिव स्थापना समिति के बैठक के 15 दिनों के भीतर पूर्ण कर आयोग को सूचित की जाएगी ।

तत्पश्चात, जिला प्रशासन, सिमडेगा द्वारा कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। NCST ने इस प्रकरण पर दिनांक 13.06.2024 को 05:00 बजे, रांची में उपायुक्त, जिला – सिमडेगा तथा आवेदक के साथ चर्चा करने का निर्णय लिया, जिसकी सूचना सम्बंधित अधिकारी तथा आवेदक को सम संख्यक सिटिंग नोटिस एंव पत्र दिनांक 04.06.2024 द्वारा दे दी गई। उपायुक्त, जिला- सिमडेगा ने जिला पंचायती राज पदाधिकारी, सिमडेगा को प्रतिनिक्युत करके सिटिंग मे उपस्थित होने का आदेश जारी किया। सिटिंग में जिला पंचायती राज पदाधिकारी, सिमडेगा तथा आवेदक उपस्थित हुए।

जिला पंचायती राज पदाधिकारी, सिमडेगा ने अवगत कराया कि प्रशासन ने आवेदक का निलंबन मुक्त करते हुए, प्रखण्ड कार्यालय, कोलेबीरा मे पदस्थापित कर दिया गया है। इसके साथ ही उनके निलंबन के समय का देय-भत्ता भी प्रदान कर दिया गया है। आवेदक ने बताया कि पिछले 15 वर्षों से तरह तरह कि आर्थिक व सामाजिक कठिनाईयां का सामना किया, उसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाई नहीं की गयी। प्रशासन द्वारा जो भत्ता दिया गया है वह नियमों के अनुकूल नहीं है। आयोग ने उपायुक्त, जिला - सिमडेगा की अनुपस्थिति को गंभीरता से लिया क्योंकि वह जिला प्रशासना के सक्षम अधिकारी हैं जिनको उपस्थित होना चाहिए था। जिला प्रशासन द्वारा आवेदक के प्रकरण में की गयी कार्यवाई से असहमति व्यक्त की।

दोनों पक्षों के साथ चर्चा के पश्चात आयोग ने निम्न संस्तुतियाँ की तथा आग्रह किया की प्रकरण में की गयी/की जाने वाली कार्यवाई रिपोर्ट सिटिंग के एक माह के भीतर, आयोग को प्रस्तुत करें। इसके बाद आयोग आगे की कार्यवाई सुनिश्चित करेगा।

1. जिला प्रशासन द्वारा ~~सम्~~बंधित नियमों के अनुसार, आवेदक के 15 वर्षों के वेतन की राशि वापिस करे।
2. आवेदक के निलंबन के समय दिये गए भत्तों का पुनर्निरीक्षण कर, देय-भत्ते का भुगतान अविलंब करें।
3. जिला प्रशासन द्वारा अधिकारियों को, अनुसूचित जनजातियों के/कर्मचारियों/जागरूकता हेतु आवश्यक दिशानिर्देश जारी करें।

आशा लकड़ा
डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra

Annexure

डॉ. आशा लकड़ा, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 13.06.2024 को 5:00 बजे रांची में जिला पंचायती राज पदाधिकारी, सिमडेगा द्वारा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी (श्री देवकु भगत) को पंचायत सेवक पद से जबरन निष्कासित करने के प्रकरण में उपस्थित अधिकारियों की सूची।

I	उपायुक्त, जिला- सिमडेगा
	श्री दयानन्द कार्जी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी
II	आवेदक
	श्री देवकु भगत